

# सूचना मागकर्ता खातिर सहयोगी पुस्तिका



राष्ट्रीय सूचना आयोग





सूचना मागकर्ता खातिर  
सहयोगी पुस्तिका

राष्ट्रीय सूचना आयोग

पुस्तक के नाम: सूचना मागकर्ता खातिर सहयोगी पुस्तिका  
संपादन: रत्नप्रसाद मैनाली, सूचना आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग  
प्रकाशक: राष्ट्रिय सूचना आयोग  
अनुवाद, डिजाइन, लेआउट: पब्लिक अफेयर्स रिसर्च एण्ड कम्युनिकेसन्स  
(PARC)/अधिवक्ता आनन्द कुमार गुप्ता  
सर्वाधिकार: राष्ट्रिय सूचना आयोग में सुरक्षित  
पहिलका संस्करण: २०८१

राष्ट्रिय सूचना आयोग  
सूचना आयोग भवन, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं  
फोन: ०१-४५९६५४४, फ्याक्स: ०१-४५९६५४५  
वेबसाइट: nic.gov.np  
इमेल: info@nic.gov.np  
ISBN Number: 9789937970211

राष्ट्रिय सूचना आयोग आ युएसएआईडी नेपाल के सहकार्य में प्रकाशित । एह प्रकाशन भितर के विषयवस्तु आ सामग्री राष्ट्रिय सूचना आयोग के एकल जिम्मेवारी हउवे अउरी एमें अमेरिकी सरकार, युएसएआईडी भा द एशिया फाउण्डेशन के विचार प्रतिविम्बित करता कहल जरूरी नइखे ।



**USAID**  
अमेरिकी जनताबाट



The Asia Foundation

## आयोग के कहनाम

सूचना माग करेके आ प्राप्त करेके नागरिक के अधिकार नेपाल के संविधान में मौलिक हक के रूप में स्वीकार कइल गइल बा। संविधान के धारा २७ में व्यवस्था कइल गइल बा सूचना के हक के। सूचना के हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मार्फत अउरी व्यवस्थित कइल गइल बा। सूचना के हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी भइल बा आ सूचना के हक के कार्यान्वयन खातिर नियामक निकाय के रूप में वि.सं. २०६५ साल में राष्ट्रिय सूचना आयोग के गठन होके आयोग संविधान आ कानून द्वारा निर्देशित कइल हिसाब से आपन दायित्व पूरा करत आ रहल बा।

आयोग के मुख्य जिम्मेवारी सूचना माग करेके आ प्राप्त करेके नागरिक के अधिकार के सुनिश्चितता कइल ह। सार्वजनिक निकाय में रहल व्यक्तिगत भा सार्वजनिक सरोकार के विषय में नागरिक द्वारा माग कइल सूचना ओह निकाय के सूचना अधिकारी आ कार्यालय प्रमुख उपलब्ध ना करावल अवस्था में आयोग में पुनरावेदन करे मिली कहके कानूनी व्यवस्था सूचना के हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ में बा। ओइसे प्राप्त पुनरावेदन उपर उपयुक्त आदेश देके संविधानप्रदत्त सूचना माग करेवाला आ प्राप्त करेवाला नागरिक के अधिकार के सुनिश्चित कइल आयोग के प्राथमिक दायित्व ह।

कानून पुनरावेदन उपर सुनुवाई के साथे सूचना के हक सम्बन्धी प्रबर्द्धनात्मक काम के जिम्मेवारी भी आयोग के देहले बा। संविधान आ कानून में व्यवस्था में कइल गइल डेढ़ दशक वित गइला के बाद भी सूचना के हक जइसन महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में आम नागरिक में पर्याप्त जानकारी नइखे। एह बारे में आयोग विभिन्न प्रबर्द्धनात्मक काम करत अइला के बाद भी नागरिक तह तकले जवन हिसाब में पुगावे के चाही ओह हिसाब से पुगावे ना सकल तीत वास्तविकता ह। तेपरो, आयोग एह ओरिया यथाशक्य प्रयास करत आइल बा। एकरा के नागरिक तह तकले पुगावे खातिर राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक निकाय आ सरोकारवाला संस्था के प्रतिबद्धता अउरी ज्यादा आवश्यक पड़ेला।

नेपाल के संविधान के धारा ७ के उपधारा १ में देवनागरी लिपी में लिखाएवाला नेपाली भाषा नेपाल के सरकारी कामकाज के भाषा होई कहल बा । ओइसही उपधारा २ में नेपाली भाषा के अतिरिक्त प्रदेश अपना प्रदेश भितर बहुसङ्ख्यक जनता द्वारा बोलल जाएवाला एक भा एक से बेसी अउरी राष्ट्रभाषा के प्रदेश कानून अनुसार प्रदेश के सरकारी कामकाज के भाषा निर्धारण कर सकल जाता कहल बा । सूचना के हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा ४ के उपदफा ३ में, 'सार्वजनिक निकाय उपदफा २ के खण्ड (क) अनुसार के सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन भा प्रसारण करे के बेरा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आम सञ्चार के माध्यम से कर सकल जाता' कहल बा । नेपाल के संविधान आ कानून में कइल ई व्यवस्था के मध्यनजर करत सूचना के हक के कानूनी प्रावधान अउरी प्रचलन के बारे में भोजपुरी भाषी नागरिक के भी जानकारी पुगो उद्देश्य से आयोग ई सहयोगी पुस्तिका भोजपुरी भाषा में प्रकाशन कइले बा । सरकार द्वारा राष्ट्रिय भाषा सब के कार्यालय सञ्चालन खातिर ना तोकल अवस्था में सूचना माग करे के बेरा, ओरहन देवे के बेरा आ पुनरावेदन देवे के बेरा नेपाली भाषा ही प्रयोग करे खातिर आयोग सब केहू से निहोरा करता ।

सार्वजनिक निकाय के सुशासनयुक्त, पारदर्शी आ जवाबदेही बनावे खातिर नागरिक के जागरुकता एकदम जरूरी होला । सूचना माग करे खातिर आ प्राप्त करे खातिर संवैधानिक आ कानूनी व्यवस्था के बारे में आमनागरिक के जानकारी बिना देहले ई सम्भव ना होई । इहे सन्दर्भ में सूचना के हक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था बारे नागरिक के जानकारी देवे खातिर ई हस्त पुस्तिका तयार कइल गइल बा । ई पुस्तिका तयार करे खातिर आयोग के द एसिया फाउण्डेशन आ नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूट, नेपाल के ओर से महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भइल बा । ई संस्था प्रति आभार व्यक्त करत आयोग धन्यवाद ज्ञापन कर रहल बा ।

पुस्तिका प्रकाशन करे के क्रम में रहल भा भइल कमी, कमजोरी आ गलती के सचिचा के अपने लोगिन के सुझाव भा जानकारी मिलला पर अगिला संस्करण में सचिआवे के आयोग खुशी के साथ तैयार रहल जानकारी करावता ।

बैशाख २०८१

राष्ट्रिय सूचना आयोग

## विषय प्रवेश

नेपाल के संविधान के धारा २७ में हरेक नागरिक आपन भा सार्वजनिक सरोकार के कवनो भी विषय के सूचना मागेके आ पावेके हक होई कहके व्यवस्था बा । ई नागरिक के मौलिक हक ह ।

अइसे सूचना मागेके आ पावेके हक भितर सूचना प्रवाह के हक भी पड़ेला । एकरा के प्रचलित कानून, अभ्यास अउरी विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र सब भी पुष्टि कइले बा । तसर्थ, आम नेपाली नागरिक में सूचना मागेके, पावेके आ प्रवाह करेके हक स्थापित भइला से अनुसन्धानकर्ता, सञ्चारकर्मी लगायत सूचना आवश्यक पड़ेवाला नागरिक सक्रिय होखे के पड़ी ।

### कानूनी व्यवस्था

नेपाल के संविधान के धारा २७ व्यवस्था कइल मौलिक हक के प्रचलन खातिर संविधान के धारा ४६ में संवैधानिक उपचार के हक के व्यवस्था बा । एकरा अनुसार सूचना प्राप्त करे खातिर कवनो भी नागरिक रिट के माध्यम से अदालत जा सकता ।

सूचना के हक सम्बन्धी ऐन के दफा ११ में नागरिक के सूचना के हक के संरक्षण, सम्बर्द्धन आ प्रचलन करावे खातिर एगो स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहेके कानूनी व्यवस्था बा । कानून द्वारा व्यवस्था कइल बमोजिम आयोग २०६५ साल में स्थापना भइल बा ।

आयोग के मुख्य जिम्मेवारी ही नागरिक के सूचना दिअवावे के ह । कवनो भी सार्वजनिक निकाय में रहल व्यक्तिगत भा सार्वजनिक सरोकार के विषय के सूचना प्राप्त करे खातिर चाहेवाला नागरिक के सूचना ना देवे वाला सम्बन्धित निकाय के पदाधिकारी विरुद्ध आयोग में पुनरावेदन देवे के पड़ी । अइसे पुनरावेदन प्राप्त भइला के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरा कके आयोग नागरिक के सूचना मागेके आ पावेके हक के एहशास करावेला ।

### **सूचना के हक के कानूनी प्रत्याभूति**

सूचना के हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ नागरिक के सूचना मागेके आ पावेके हक के सम्बन्ध में कुछ अपवाद बाहेक के सूचना प्राप्त होखेवाला एहशास खातिर निम्न २ गो कानूनी प्रावधान के व्यवस्था कइले बा:

- सूचना के हक सम्बन्धी ऐन के दफा ३ के उपदफा (२) में हरेक नेपाली नागरिक के सार्वजनिक निकाय में रहल सूचना में पहुँच होई कहल गइल बा ।
- ऐन के दफा ४ के उपदफा (१) में हरेक सार्वजनिक निकाय नागरिक के सूचना के हक के सम्मान अउरी संरक्षण करेके/ करावेके पड़ी कहके कानूनी व्यवस्था कइल गइल बा ।

### **कानून में भइल इहे व्यवस्था अनुसार -**

- राष्ट्रिय सूचना आयोग के आदेश आ अदालत के फैसला बे बाद आम विद्यार्थी आपन उत्तरपुस्तिका देखे के मिलेवाला मान्यता



स्थापित भइल बा। सूचना माग कइला पर उत्तरपुस्तिका भी देखेके मिली जे ? कहके आश्चर्य प्रकट कइल जात रहल अवस्था में हाल अइसन व्यवस्था उत्तरपुस्तिका जाँचे वाला के थप जिम्मेवार बनावे में मदत कइले बा।

- अन्य कइयन पुनरावेदन में आयोग सरकारी निकाय, संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय अउरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, निजी क्षेत्र के बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था अउरी उपभोक्ता समिति के नाम में सूचना देवे के आदेश जारी कइले बा। आयोग के आदेश के बाद नागरिक द्वारा माग कइल गइल सूचना समेत प्राप्त कके ई सब निकाय सूचना के हक के दायरा भितर रहल प्रष्ट सन्देश प्रवाह भइल बा। तसर्थ, ई निकायन में रहल व्यक्तिगत आ सार्वजनिक सरोकार के विषय के सूचना मागल आ पावल जा सकल जाता।

### **सूचना के हक के वैश्विक इतिहास**

सन् १७६६ में पहिल बेर स्वीडेन में सूचना के हक सम्बन्धी कानून जारी भइल रहे। ओकरा बाद सन् १९५१ में फिनल्याण्ड, सन् १९६६ में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ सन् १९७० में डेनमार्क अउरी नर्वे में ई कानून जारी भइल। हाल विश्व के करिब १ सय ३६ गो से बेसी मुलुक में ई कानून जारी भइल बा।

## **सूचना के हक के दक्षिण एसिया के विकासक्रम**

सन् २००२ में पाकिस्तान के पञ्जाब आ केपी प्रदेश में सूचना के हक सम्बन्धी कानून जारी भइल। ओकरा बाद सन् २००५ में भारत में, सन् २००७ में नेपाल में, सन् २००९ में बंगलादेश में, सन् २०१४ में अफगानिस्तान आ माल्दिभ्स में अउरी सन् २०१६ में श्रीलङ्का में ई कानून जारी भइल। श्रीलङ्का में सूचना देवे में अटेरी करेवाला पदाधिकारी के दू वर्ष तकले कारावास के सजाय होखेवाला कानूनी व्यवस्था बा।

## **राष्ट्रिय सूचना आयोग के गठन**

नेपाल के अन्तरिम संविधान के धारा २७ में भइल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०६४ साल में सूचना के हक सम्बन्धी ऐन आ २०६५ साल में नियमावली जारी भइल बा। इहे ऐन के प्रावधान बमोजिम २०६५ साल में राष्ट्रिय सूचना आयोग के गठन भइल।

## **सूचना मागेके आ तत्काले पावेके**

हरेक नागरिक सम्बन्धित कार्यालय के सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग करे खातिर निवेदन देवे के पड़ी। अइसे सूचना माग कइला के बाद सूचना अधिकारी तत्काले सूचना उपलब्ध करावे के पड़ेवाला कानूनी व्यवस्था बा।

सामान्यतः अइसन सूचना लिखित रूप में माग करे के पड़ेला । साथे, सूचना माग करेके बेरा अपना कवन विषय के सूचना चाही आ ओकरा काम कथि बा कहके सूचना मागकर्ता के खुलावे के पड़ेला । ओकरा बाद सूचना अधिकारी के तत्काल सूचना देवे में सहज होई । एकेगो निवेदन पर बहुत विषय आ बुँदा उल्लेख कके सूचना माग कइला पर अपना भी प्रयोजन खुलावे में असहज हो सकता त सूचना देवेवाला के भी असुविधा हो सकता । ओइसे सूचना मागकर्ता के कवन विषय में सूचना माग कर रहल बानी ऊ विषय में स्पष्ट होखे के पड़ी ।

हुलाक के माध्यम से तथा फ्याक्स, इमेल लगायत के विद्युतीय माध्यम से भी सूचना माग अउरी प्राप्त कर सकल जाता, बाकिर सम्भव भइला तकले सूचना अधिकारी समक्ष उपस्थित होके निवेदन देहला पर ठीक रही । सूचना माग कइला के बाद मिली कहके विश्वास के साथ सार्वजनिक निकाय में सूचना माग करे जाए के पड़ी । काहे से कि सूचना माग कइल आ प्राप्त कइल हरेक नेपाली नागरिक के संवैधानिक मौलिक हक ह ।

अइसे जवन भी माध्यम से सूचना माग कइला पर भी सूचना मागकर्ता नेपाली नागरिक भइला के कवनो प्रमाण (जइसे- नेपाली नागरिकता के फोटोकपी भा अइसन अन्य) संलग्न करे के पड़ी । काहेसे कि हमनी के संविधान सार्वजनिक निकाय में रहल सूचना माग करे के अधिकार नेपाली नागरिक के मात्रे प्रदान कइले बा ।

**लिखित रूप में सूचना मागकेआ तोकल समय में सूचना हासिल करेके** हरेक नागरिक के सूचना माग करेके बेरिया लिखित निवेदन दर्ता करावे के पड़ी। अइसे दर्ता कइल निवेदन के प्रमाण लेवे के पड़ी। साथे, सूचना अधिकारी के सम्पर्क नम्बर भी लेवे के पड़ी। सूचना माग खातिर निवेदन देहला के बाद सूचना अधिकारी से कवन दिन सूचना उपलब्ध होखी कहके पुछे के पड़ी। सूचना के हक सम्बन्धी कानून में सूचना माग कइला के बाद तत्काल उपलब्ध करावे के व्यवस्था कइल गइल बा। तथापि, माग भइल सूचना सङ्कलन करे के भइला पर सूचना अधिकारी बेसी में १५ दिन भितर मागकर्ता के सूचना उपलब्ध करावे के चाहीं।

बाकिर, जीव जान के सुरक्षा से सम्बन्धित सूचना २४ घण्टा भितर उपलब्ध करावे के कानूनी व्यवस्था बा। एकरा खातिर निवेदन में भी उहे व्यहोरा उल्लेख कके सूचना अधिकारी के जानकारी करावे के पड़ी। अइसे सूचना अधिकारी से सूचना माग कइल के बोधार्थ ओह कार्यालय के प्रमुख आ राष्ट्रिय सूचना आयोग के देवे के कानूनी व्यवस्था नइखे। बाकिर ईच्छुक नागरिक अइसन बोधार्थ निवेदन द्वारा अपना सूचना माग कइल व्यहोरा भविष्य में उजुरी भा पुनरावेदन करेवाला निकाय के सजग करावे खातिर दे सकल जाता।

## सूचना अधिकारी के सूचना ना देहला पर ओरहन देवे के

सामान्यतः आपन माग कइल सूचना, सूचना अधिकारी १५ दिन भितर ना देहला पर उहे कार्यालय के प्रमुख लगे ओरहन देवे के पड़ेला । अइसन ओरहन लिखित रूप में हुलाक, फ्याक्स भा इमेल मार्फत् भी पठा सकल जाता । अपने उपस्थित होके लिखित ओरहन देहल अवस्था में ओरहन दर्ता करावल के प्रमाण लेवे के पड़ेला ।

अइसे ओरहन कइला पर दूगो बात के माग दावी करे के पड़ेला । पहिलका- सूचना नादेवे वाला सूचना अधिकारी के कारवाही कइल जाँव । दूसरका, हमार माग कइल सूचना प्राप्त होखे । अइसन ओरहन सूचना अधिकारी सूचना देहल इन्कार कइल पत्र देहल भा आंशिक सूचना देहल भा सूचना ना देके १५ दिन गुजारल मिति से सात दिन भितर करे के पड़ेला । सामान्यतः अइसन ओरहन पड़ेला के बाद सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख ७ दिन भितर सूचना उपलब्ध करावेवाला कानूनी व्यवस्था बा ।

आयोग में पुनरावेदन करे के बेरा सूचना माग कके सूचना अधिकारी समक्ष देहल निवेदन, कार्यालय प्रमुख समक्ष कइल ओरहन आ नेपाली नागरिक भइल पुष्टि होखे वाला प्रमाण भी राखे के पड़ी ।

सार्वजनिक सरोकार के विषय में सूचना मगला के बाद सूचना पा भी सकल जाता आ केतना अवस्था में ना भी मिल सकता । अइसे सूचना

माग कइला पर सार्वजनिक निकाय के पदाधिकारी के गलत काम करे से रोक सकल जाता। काहेसे कि कवनो विषय में निर्णय कइला पर सार्वजनिक निकाय के पदाधिकारी, बिहान नागरिक एह विषय में सूचना के हक के प्रयोग कके सूचना माग करी त ओह विषय के सूचना देवे के पड़ी कहके सोचे पर बाध्य होला।

### **कार्यालय प्रमुख भी सूचना ना देहला पर पुनरावेदन करेके**

सूचना माग करेवाला नागरिक के कबो भी हार ना माने के चाही। ओहिसे सूचना अधिकारी आ कार्यालय प्रमुख दूनू सूचना ना देहला पर राष्ट्रिय सूचना आयोग में पुनरावेदन करे के पड़ेला। अइसन पुनरावेदन कइला पर पहिलका, सूचना अधिकारी १५ दिन भितर में सूचना ना देहल अथवा ओह से अगाड़ि गलत भा आंशिक सूचना देहल अथवा सूचना देवे ना सकेवाला कहके कवनो लिखित देहल अवस्था होखे के पड़ी। दूसरका, कार्यालय प्रमुख से कइल ओरहन में भी ऊ सूचना देवे के पड़ेवाला ७ दिन के म्याद गुजारल भा सूचना देवे के इन्कार कके पत्र देहल मिति से ३५ दिन भितर राष्ट्रिय सूचना आयोग में तोकल ढाँचा में पुनरावेदन करे के पड़ेला।

अइसे आयोग में पुनरावेदन कइला पर कवनो दस्तुर ना लागेला। पुनरावेदन में हुलाक टिकट भी साटे के ना पड़ेला।

एतना मेहनत कइला के बाद कइसन सूचना मिलेला ? कहके उत्सुक्ता हो सकता। उदाहरण खातिर राष्ट्रिय सूचना आयोग के आदेश के बाद लगानी बोर्ड आ जिएमआर बीच भइल अपर कर्णाली जल विद्युत आयोजना के पीडीए सम्झौता, नेपाल आ भारत सरकार बीच के पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना के विधान अउरी नेपाल तथा चीन बीच सम्पन्न चिनियाँ हवाई जहाज खरिद अउरी अनुदान सम्बन्धी सम्झौतापत्र भी सूचना मागकर्ता के मिलल बा। एकरा से दूषक्षीय सन्धि-सम्झौता के दस्तावेज में नागरिक के पहुँच कायम भइल बा।

एकरा अलावा, नलसिडगाड जलविद्युत आयोजना के परामर्शदाता नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्र लगायत के कागजात भी आयोग के पहल में सूचना मागकर्ता नागरिक के मिलल बा। एकरा से दातृ निकाय के सूचना में भी नागरिक के हक स्थापित भइल बा। ई सब दृष्टान्त से सूचना के हक के तागत प्रष्ट होता।

### **पुनरावेदन उपर कइसे कारवाही होला ?**

राष्ट्रिय सूचना आयोग में पुनरावेदन कइला पर खूदे सूचना अधिकारी से सूचना माग कइल आ कार्यालय प्रमुख से ओरहन देहल के प्रमाण साथ में पेश करे के पड़ेला। अइसे आयोग समक्ष पड़ेल पुनरावेदन में आयोग समय सीमा तोक के निःशुल्क सूचना उपलब्ध करावऽ कहके भी आदेश जारी कर सकता। आयोग अधिकतम् ६० दिन भितर एकरा

बारे में निर्णय सुनावेला। साथे, आयोग पुनरावेदन के निरर्थक समझला पर खारिज भी कर सकेला।

आयोग अपना लगे पड़ेल पुनरावेदन के कारवाही आकिनारा करे खातिर सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय के प्रमुख भा सूचना अधिकारी से बयान ले सकता भा कवनो लिखत पेश करेके कह सकता। ओह सम्बन्ध में साक्षी प्रमाण बुझ भी सकता। आयोग में पक्ष, विपक्ष, ओह लोग के प्रतिनिधि भा सम्बन्धित कानून व्यवसायी के उपस्थित करा सकता। एकरा खातिर आयोग में रहल इजलास में बहस-पैरवी हो सकता। अइसे, आयोग अदालती प्रक्रिया अनुसार आपन फैसला सुनावेला।

### **सूचना देवे में अटेर करेवाला के सजाय**

राष्ट्रीय सूचना आयोग में पुनरावेदन पड़ेला के बाद आयोग आवश्यक प्रक्रिया पूरा कके सूचना द कहके आदेश करेला। अइसे आयोग से जारी भइल आदेश के अटेर कके सूचना ना देवेवाला पदाधिकारी के आयोग एक हजार से २५ हजार रोपेया तकले जुरमाना कर सकता।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी के हक के आयोग विभागीय कारवाही खातिर भी लिख के पठा सकता। नागरिक द्वारा माग कइल सूचना समय में ना देके देर कके सूचना देवेवाला पदाधिकारी के आयोग प्रतिदिन दू सय के दर से जुरमाना कर सकता।



एकरा अलावा यदि केकेरो आयोग के आदेश के पालना ना कइला पर दूसर दश हजार तकले सजाय कर सकता ।

अइसे, सूचना के हक सम्बन्धी ऐन नागरिक के सूचना के हक के संरक्षण, सम्बर्द्धन आ प्रचलन करके करावेके गठित आयोग के दण्ड करे तकले के कानूनी अधिकार देहले बा । नागरिक द्वारा माग कइल सूचना दऽ कहल आयोग के आदेश के अटेर करेवाला सार्वजनिक निकाय के करिब चार दर्जन पदाधिकारी आयोग से दण्डित भइल बा लोग । अइसन सजाय पावेवाला विद्यार्थी के उत्तरपुस्तिका देवे में अटेर करेवाला, विद्यालय से सम्बन्धित सूचना देवे में आनाकानी करेवाला, विश्वविद्यालय के परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षार्थी के सूचना ना देवे वाला, सार्वजनिक निर्माण के सूचना देवे के ना माने वाला, नागरिक के माग कइल सूचना ना देवेवाला निजी क्षेत्र से सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, उपभोक्ता समिति, स्थानीय तह के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत रहल बा लोग ।

### **सूचना ना मिलला के कारण से हानि-नोक्सानी भइला पर क्षतिपूर्ति पावे के व्यवस्था**

नागरिक द्वारा माग कइल सूचना मिलला के कारण खूद के हानि-नोक्सानी भइल बा त ओकर विवरण आ प्रमाण सहित राष्ट्रिय सूचना आयोग में क्षतिपूर्ति खातिर निवेदन दे सकल जाता । आयोग अइसन निवेदन प्राप्त कइला के बाद भइल हानि-नोक्सानी के विचार कके

मोनासिब क्षतिपूर्ति दिअवा सकता। एमें आयोग द्वारा दिला देवे सकेवाला क्षति सीमा तकल नइखे।

तसर्थ, नागरिक अपना पुगल क्षति के अधिकतम् दावी कर सकता। तथापि, नागरिक एह सम्बन्धी समुचित प्रमाण राख के भा उचित आधार खोला के मोनासिब क्षतिपूर्ति खातिर मागदावी सहित के निवेदन देवे के पड़ेला। बाकिर अइसन क्षतिपूर्ति के दावी खातिर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख द्वारा तकल सात दिन भितर में सूचना उपलब्ध ना करावला पर भा सूचना देवे में इन्कार कइल पत्र जारी कइल भा आंशिक भा गलत सूचना देहल मिति से तीन महिना भितर अइसन क्षतिपूर्ति माग दावी के निवेदन दे देवे के पड़ेला।

### **सूचना माग कइला पर दस्तुर लागेला ?**

नागरिक सूचना माग कके सूचना अधिकारी के निवेदन देवे के बेरा, कार्यालय प्रमुख से ओरहन कइला पर आ राष्ट्रिय सूचना आयोग में पुनरावेदन कइला पर निवेदन के साथे हुलाक टिकट ना साटे के पड़ेला आ कवनो भी प्रकार के दस्तुर भी ना देवे के पड़ेला। बाकिर सार्वजनिक निकाय से सूचना प्राप्त कइला पर दस्तुर देवे के कानूनी व्यवस्था बा। जेकर व्यवस्था निम्नानुसार रहल बा :

- सूचना माग के निवेदन निःशुल्क दर्ता कके प्रमाण देवे/ लेवे के पड़ी ।
- निवेदन में हुलाक टिकट साटे के ना पड़ी आ निवेदन बापत कवनो शुल्क भी बुभावे के ना पड़ी ।
- पहिलका १० पृष्ठ के सूचना निःशुल्क मिली ।
- ओकरा बाद A4 साइज के प्रतिपृष्ठ रु. ५/-, A3 साइज के १०/-, डिस्क्रेट भा सिडी में सूचना लेहला पर प्रति सिडी भा डिस्क्रेट बापत रु. ५०/- आ सूचना के अध्ययन/ अवलोकन के पहिलका आधा घण्टा निःशुल्क, ओकरा बाद के प्रति व्यक्ति एक घण्टा के रु. ५०/-दस्तुर बुभावे के पड़ेला ।
- एकरा बाहेक अन्य दस्तुर के हक में लागल खर्च अनुरूप दस्तुर तिरे के ना पड़ेला कहके कानूनी व्यवस्था बा। ई विषय में नागरिक भी सजग होके कइयन सूचना मागकर्ता नागरिक कानून में रहल अइसन प्रावधान बुझ के निःशुल्क सूचना हासिल कइले बाटे लोग ।

### **कुछ सूचना पावे खातिर बाध्य ना कइल जा सकल जाता**

संविधान के धारा २७ सूचना के हक के व्यवस्था कइले बा आ ओकरा अनुसार सूचना के हक सम्बन्धी ऐन जारी भइल तथा संविधान के धारा २८ गोपनीयता के हक के व्यवस्था कइले बा आ गोपनीयता के हक

सम्बन्धी कानून जारी भइल विषय में आम नागरिक के ध्यान देवे के पड़ी। सिद्धान्ततः लोकतन्त्र में सूचना के हक आ गोपनीयता के हक के सन्तुलित ढङ्ग से उपयोग करे के पड़ी। प्रस्तुत सन्दर्भ में सूचना के हक सम्बन्धी ऐन के दफा ३ में पाँच किसिम के सूचना प्रवाह में सार्वजनिक निकाय बाध्य होखेवाला व्यवस्था बा।

बाकिर, आम नागरिक अपना आवश्यक पड़ेल सूचना माग करे के पड़े ल। नागरिक द्वारा माग कइल गइल सूचना कानून बमोजिम देवे के मिले वाला ह कि ना ह देखे के जिम्मा सार्वजनिक निकाय के पदाधिकारी के ह त एकरा बारे में निर्णय करेवाला निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोग ह। यदि नागरिक द्वारा माग कइल सूचना कानून बमोजिम देवे के ना मिलेवाला ह त ओह सूचना अनुसार कानून बमोजिम केतना समय तकले खातिर संरक्षण करे के हिसाब से वर्गीकरण कइल गइल बा कहके जानकारी देवे के दायित्व सार्वजनिक निकाय के ह।

तसर्थ, आम नागरिक पहिले-अपना से सम्बन्धित व्यक्तिगत सरोकार के विषय के सूचना माग करे के पड़ी। दूसरका- सार्वजनिक सरोकार के विषय में सूचना माग कके सार्वजनिक निकाय के गलत काम ना करे खातिर खबरदारी करत रहे के पड़ी। वर्गीकरण कइल सूचना भी पावे के मागदावी सहित नागरिक आयोग में पुनरावेदन कइला पर आयोग सूचना देओ कहके आदेश दे सकेवाला व्यवस्था बा।

## सूचना के वर्गीकरण कहल का ह ?

- नेपाल सरकार सूचना के हक सम्बन्धी ऐन के दफा ३ के उपदफा (३) के प्रकरण (क) से (ड) तकले उल्लेख कइल विषय के सूचना समावेश कके ओइसन किसिम के सूचना अधिकतम् ३० वर्ष तकले जतन कके राखे सकेवाला कानूनी प्रावधान बा। एकरे के सूचना के वर्गीकरण कहल जाला।
- अइसन, सूचना के वर्गीकरण के व्यवस्था सूचना के हक सम्बन्धी ऐन के दफा २७ में उल्लेख कइल गइल बा।
- वर्गीकरण समिति अभिन तकले तीन बेर सूचना के वर्गीकरण कइला पर भी कार्यान्वयन होखे नइखे सकल। तसर्थ, हाल सूचना के वर्गीकरण ना भइल अवस्था बा।

## व्यक्तिगत सरोकार के सूचना कइसन किसिम के ह ?

ऋाम नागरिक नितान्त खूद से मात्र सम्बन्धित सरोकार के विषय में भी सूचना मागेके आ पावे सके वाला संवैधानिक आ कानूनी व्यवस्था बा।

अब प्रश्न उठ सकता व्यक्तिगत सरोकार के सूचना कहल कइसन प्रकार के ह ?

नितान्त खूद से मात्र सम्बन्धित सूचना के हमनी के संविधान आ कानून व्यक्तिगत प्रकार के सूचना कहके परिभाषित कइले बा । उदाहरण खातिर केकरो शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्र, अपना नाम पर रहल जमीन, घर, सोना, चाँनी, जवाहरात, बैंक खाता में भा घर में रहल नगद, स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्ट, जन्म दर्ता प्रमाणपत्र अथवा कवनो सार्वजनिक निकाय में रहल अइन प्रकार के तथ्य, तथ्याङ्क सम्बन्धी जानकारी भा विवरण के व्यक्तिगत सरोकार के विषय के सूचना मानल जाला । अइसन विषय से सम्बन्धित विवरण, जानकारी भा सूचना सम्बन्धित व्यक्ति भा ओह आदमी के अनुमति बेगर दूसर केहु प्राप्त करे सकेवाला प्रावधान कानून में नइखे । अइसन सूचना असम्बन्धित व्यक्ति केहू भी माग कइला पर भी सम्बन्धित व्यक्ति भा ओकरा अनुमति बेगर सार्वजनिक निकाय के देवे के ना मिली । बाकिर, खूद से सम्बन्धित विषय में अइसन सूचना खूदे माग करके आ प्राप्त कर सकल जाता ।

### **सार्वजनिक सरोकार के सूचना कइसन किसिम के होला ?**

सार्वजनिक निकाय में रहल सब केहू के सरोकार के विषय के बारे के तथ्य, तथ्याङ्क, जानकारी भा विवरण सार्वजनिक सरोकार के सूचना ह । अइसन विषय में सब नेपाली नागरिक चाव राख के सूचना माग आ प्राप्त कर सकता । जइसे राष्ट्रपति कार्यालय, से वडा कार्यालय तकले, रास्ता-पड़ी, पुल-पुलिया, नाला, पिएवाला पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, खाद्य सुरक्षा, संसद, न्यायालय, सुरक्षा निकाय, तीनू तह के

सरकार अउरी मातहत के निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सब राष्ट्रिय आ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्था, शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत में रहल तमाम विषय के सम्बन्ध में कवनो भी सार्वजनिक निकाय में जे केहू नेपाली नागरिक सूचना माग आ प्राप्त कर सकता ।

### **सचेत नागरिक के कर्तव्य**

आम नागरिक के नेपाल के संविधान आ कानून सूचना मागेके आ पावेके हक देहले बा । ई हक विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र में भी उल्लेख कइल गइल बा, जेकर नेपाल भी पक्ष राष्ट्र ह ।

तसर्थ, व्यक्तिगत सरोकार आ सार्वजनिक चाव के जवन भी विषय से सम्बन्धित सूचना मागेके आ पावेके हक के अधिकतम् उपयोग कइल हरेक सचेत नागरिक के कर्तव्य ह । साथे, सूचना माग करत बेरिया निम्न विषय में ख्याल पुगावल भी जिम्मेवार नागरिक के कर्तव्य ह :

- सूचना माग करत बेरिया सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय में स्वयम् उपस्थित होके, हुलाक, फ्याक्स भा इमेल मार्फत लिखित निवेदन दर्ता करावे के, ओकर प्रमाण लेवेके आ अइसन निवेदन में संविधान अउरी कानून में उल्लेखित आपन अधिकार के विषय उल्लेख करे के पड़ी ।
- बाकिर, निरक्षर भा शारीरिक रूप से लिखे ना सकेवाला नागरिक मौखिक रूप में भी सूचना माग कर सकता ।

- अइसन सूचना माग के निवेदन सम्बन्धित कार्यालय में खूदे उपस्थित होके, वारिश से, हुलाक भा कुरियर से, फ्याक्स, इमेल लगायत के उपलब्ध माध्यम से पठा सकल जाता, बाकिर आपन निवेदन सूचना अधिकारी प्राप्त कइल प्रमाण सुरक्षित करे के पड़ी ।
- सूचना मागे के उचित आवश्यकता खुलावल होखल चाहीं । एकरा खातिर खूद के आवश्यक पड़ेल सरोकार के विषय, सार्वजनिक जानकारी, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता नियन्त्रण करेवाला लगायत के विषय में सूचना माग करे के पड़ी । निवेदन में खूद कवन विषय में सूचना माग कइले बानी ऊ बात साथे राखे के पड़ी ।
- सार्वजनिक निकाय से नागरिक के प्राप्त सूचना के दुरुपयोग ना करे के होई । कानून में सूचना के दुरुपयोग करेवाला के पाँच हजार से पच्चीस हजार तकले जुरमाना होखे के व्यवस्था बा ।
- जवन निकाय में भी पहिले सूचना अधिकारी के सम्बोधन कके सूचना माग करे के चाहीं । सूचना अधिकारी ना तोकल अवस्था बा तेपर भी सूचना अधिकारी के ही सम्बोधन कके सूचना माग खातिर निवेदन दर्ता करावे के पड़ी । हुलाक, फ्याक्स भा इमेल से सूचना माग कइल गइल बा त सूचना अधिकारी के ही सम्बोधन कके निवेदन पठावे के पड़ी । निवेदन में सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुख कहके भी सम्बोधन कर सकल जाता ।
- सूचना माग करे के बेरा मागकर्ता नेपाली नागरिक भइला के प्रमाणित होखेवाला कवनो कागजात साथ में पेश करे के पड़ी ।



- सूचना के प्रतिलिपि माग करेवाला भा सूचना अध्ययन/अवलोकन करेवाला विषय में एकीन होखे के पड़े ल ।
- आपन माग कइल विषय के सूचना दूसर कार्यालय में बा कहके सूचना अधिकारी किटान कके पत्र देहलस त सूचना अधिकारी के किटानी कके देहल कार्यालय में उहे प्रक्रिया पूरा कके सूचना माग करे के चाहीं ।
- सूचना हासिल करे खातिर कानून अनुसार के दस्तुर बुभावे के सहमत होखे के पड़ी ।
- सूचना अधिकारी सूचना ना देहल, आंशिक भा अधुरा भा गलत सूचना देहल भा कवनो जानकारी ना देहल १५ दिन बाद के सात दिन भितर उहे कार्यालय के प्रमुख लगे ओरहन देवे के पड़ी ।
- कार्यालय प्रमुख भी सूचना ना देहलस त पैतीस दिन भितर राष्ट्रिय सूचना आयोग में पुनरावेदन देवे के पड़ी ।
- सम्भव भइला पर, सूचना वर्गीकरण कके संरक्षण कइल सूचना केतना वर्ष तक खातिर संरक्षण कइल गइल बा कहल बात बुभ के सूचना माग करे के चाहीं ।
- सूचना के हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा २८ अनुसार व्यक्तिगत प्रकृति के सूचना ओह कार्यालय संरक्षण कके राखेवाला भइला से ओइसन प्रकृति के सूचना माग करे से पहिले सूचना माग के आवश्यकता में एकीन हाखेके पड़ी ।

- सूचना ना देवेवाला पदाधिकारी विरुद्ध दण्ड खातिर राष्ट्रिय सूचना आयोग में प्रमाण सहित ओरहन देवे के पड़ी ।
- बाकिर, असल नियत से कइल गइल काम में सजाय ना होखे के भइला से सब केहू के होस पुगावे के पड़ी ।
- ऐन के दफा ३० बमोजिम कानूनी व्यक्ति भी दफा ७ (१) आ ९ (१) अनुसार प्रक्रिया पूरा कके सूचना माग करे के, प्राप्त करेके आ प्राप्त करे ना सकला पर दफा १० (१) अनुसार आयोग में पुनरावेदन कके सूचना प्राप्त कर सकता ।
- कवनो सार्वजनिक निकाय में गलत सूचना अभिलेख बद्ध भइला के जानकारी भइला पर ओकर सूचना सचिया के राख के निवेदन देवे के पड़ी ।
- आम नागरिक आपन भा सार्वजनिक सरोकार के विषय के सूचना माग कके गलत क्रियाकलाप रोके आ सामाजिक रुपान्तरण खातिर काम करे के चाही ।
- बाकिर, केकरो के दुःख देवे के नियत से सूचना माग करे के ना होई । ई विषय कानून में ना लिखइला के बावजूद भी ई विषय में आम नागरिक स्वयम् जिम्मेवार होखे के पड़ी ।
- सूचना के हक के विश्व भर ही पारदर्शिता खातिर अचुक औजार मानल जाला । तसर्थ, सूचना मागकर्ता भी आपन काम के पारदर्शिता सहित सदाचारिता प्रकट कइल नागरिक के कर्तव्य ह कहल विषय के भुलाए के ना चाही ।
- सूचना देवे लेवे के संस्कृति के विकास कइल जाँव । लोकतन्त्र के आधार : सूचना के अधिकार के सब केहू के मन, वचन आ कर्म कार्यान्वयन कइल जाँव ।

## सूचना माग करेवाला निवेदन के ढाँचा

(कानून में निवेदन के ढाँचा तोकल नइखे, मतलब ई ढाँचा केवल सहजता खातिर मात्रे ह)  
श्री सूचना अधिकारी जी,

.....। (सार्वजनिक निकाय के नाम आ पता)

### विषय : सूचना उपलब्ध गरावल जाँव ।

उपर्युक्त विषय में हम/हमनी एह कार्यालय में रहल हमार/हमनी के सार्वजनिक सरोकार के तपसिल अनुसार के सूचना..... उदेश्य खातिर आवश्यक पड़ला के कारण से नेपाल के संविधान के धारा २७ अउरी सूचना के हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा ७ के उपदफा (१) बमोजिम ई निवेदन पेश कइले बानी/बानीसँ ।

तपसिल

१.....

२.....

संलग्न कागजात

नेपाली नागरिक भइल प्रमाण देवेवाला कागज के फोटोकपी

निवेदक

नाम :

पता :

फोन नं.:

इमेल :

ईति सम्बत् ..... साल.....महिना.....गते रोज.....शुभम् ।

## कार्यालय प्रमुख लगे पेश करेवाला ओरहन के ढाँचा

(कानून में निवेदन के ढाँचा तोकल नइखे, मतलब ई ढाँचा केवल सहजता खातिर मात्रे ह)  
श्री कार्यालय प्रमुख जी,

.....। (कार्यालय के नाम, पता)

**विषय : सूचना उपलब्ध ना करावल/सूचना देवे से अस्वीकार कइल/आंशिक रूप में सूचना उपलब्ध करावल/गलत सूचना देहल सूचना अधिकारी के कारवाही कके सूचना उपलब्ध करावल जाँव।**

उपर्युक्त विषय में हम/हामनी एह कार्यालय के सूचना अधिकारी के सम्बोधन कके मिति .....मा हमार/हमनी के सार्वजनिक सरोकार के तपसिल उल्लेखित सूचना माग कइला में सूचना के हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा ७ के उपदफा (२) में उल्लेखित अवधि भितर सूचना उपलब्ध ना करावल/सूचना देवे से अस्वीकार कइल/आंशिक रूप में सूचना उपलब्ध करावल/गलत सूचना देहल सूचना के हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ के दफा ९ के उपदफा (१) बमोजिम ई ओरहन पेश कइले बानी/बनीसँ।

अतः सूचना उपलब्ध ना करावेवाला/सूचना देवे से अस्वीकार करेवाला/आंशिक सूचना उपलब्ध करावेवाला आ गलत सूचना देवेवाला सूचना अधिकारी के दफा ९ के उपदफा (३) बमोजिम कारवाही कके उपदफा (२) बमोजिम सूचना उपलब्ध करावल जाँव।

तपसिल

१.....

२.....

अग्रहन कर्ता :

नाम :

पता :

फोन नं.:

ईमेल :

ईति सम्बत् ..... साल.....महिना..... गते रोज..... शुभम् ।

# श्री राष्ट्रिय सूचना आयोग में देवेवाला पुनरावेदन के ढाँचा

मार्फत्..... कार्यालय

.....।

..... ओरहनकर्ता

विरुद्ध

..... विपक्षी

**विषय : माग अनुसार के सूचना उपलब्ध करावल जाँव ।**

.....निकाय के प्रमुख श्री ..... मिति..... में हमरा/हमनी के .....विषय के सूचना देवे के ना मिलेवाला निर्णय कइला से ई सब कारण आ आधार से हमरा/हमनी के ऊ निर्णय पर चिन्त ना बुझला के कारण ऐन के म्याद पैतीस दिन भितर दफा १० (१) अनुसार ई पुनरावेदन करऽतानी/ करऽतानीसँ ।

(क) .....

(ख) ..... उपर लिखल व्यहोरा ठीक साँच ह, भुट्ठा ठहरी त कानून अनुसार सहेम बुझाएम ।

संलग्न कागजात

(क) सार्वजनिक निकाय के प्रमुख के कइल निर्णय के फोटोकपी

(ख) सूचना अधिकारी समक्ष पेश कइल निवेदन के फोटोकपी

(ग) नेपाली नागरिक भइल प्रमाण भल्केवाला कागज के फोटोकपी

पुनरावेदक के दस्तखत :

नाम :

पता :

फोन नं.:

इमेल :

ईति सम्बत् ..... साल.....महिना.....गते रोज.....शुभम् ।





 /rtinepal

 /suchanaayog



9789937970211